उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-43/2020/एस-2-1295/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-3

लखनऊ :: दिनाँक:: 16 जुलाई, 2020

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्रीमती हिमानी चौधरी,<br>मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,<br>खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ। | वित्त नियंत्रक,<br>सर्व शिक्षा अभियान परियोजना<br>उ0प्र0 लखनऊ। |
| 2 | श्री विनय कुमार राय,<br>वित्त नियंत्रक,<br>नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ। | वित्त नियंत्रक,<br>उ0प्र0 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,<br>लखनऊ। |

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्या कुमार

**<u>संख्या-43/2020/एस-2-1295(1)/दस-2020, तददिनाँक।</u>** अनु सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,माध्यमिक/बेसिक शिक्षा/खादी एवं ग्रामोद्योग/नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0शासन।
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।
3- निदेशक, उ0प्र0 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ।
4- परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान परियोजना उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
9- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( विद्या कुमार )
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in